

F.No.Expl-11019(18)/1/2020-ONG.I/ONG.III (P-33444)

Government of India
Ministry of Petroleum & Natural Gas
(ONG.III Section)

Shastri Bhawan, New Delhi
May 22 2020

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Draft Note for the Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) regarding adoption of methodology for auction of coal and lignite mines/blocks for sale of coal/lignite on revenue sharing basis and tenure of coking coal linkage.

The undersigned is directed to refer to the Ministry of Coal's DO letter No. CBA2-54022/1/2019-CBA.2 dated 04.05.2020 on the above mentioned subject and to forward herewith the applicable policy, i.e. notification dated 11.04.2017 regarding policy for framewok for early monetization of Coal Bed Methane (CBM). The clause 1 of this policy provides guiding principles for discovering the market price for sale of CBM.

O.K.
issued

Yours faithfully,



[K.K. Asokan]

Under Secretary (E.II)

Tele No. 23384376

Ministry of Coal
(Shri Rajesh Kumar Sinha, Joint Secretary)
Shastri Bhawan
New Delhi.

Ru
21/6/20

- ① Sh. Ajay.
- ② NA office.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 264]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 2, 2018/श्रावण 11, 1940

No. 264]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 2, 2018/SHRAVANA 11, 1940

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2017

कोल बेड मिथेन (सीवीएम) के शीघ्र मुद्रीकरण के लिए नीतिगत ढांचा

सं. ओ-19018/7/2016/ओएनजी-I.—कोल बेड मिथेन (सीवीएम) सहित प्राकृतिक गैस के वैकल्पिक स्रोतों को विकसित करने और गैस अर्थव्यवस्था का संवर्धन करने के लिए, सरकार ने कोल बेड मिथेन (सीवीएम) के लिए विपणन और मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता देने और प्रचालनात्मक मुद्दों को सरल और कारगर बनाने करने का निर्णय लिया है। भारत सरकार एतद्वारा सीवीएम गैस के शीघ्र मुद्रीकरण के लिए नीतिगत ढांचे को निम्नानुसार अधिसूचित करती है:—

1. विपणन और मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता

1.1 सीवीएम ब्लॉकों के संविदाकारों को घरेलू बाजार में आर्म्स लैंथ मूल्य पर सीवीएम बेचने के लिए विपणन और मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता देने का निर्णय लिया गया है। आर्म्स लैंथ विक्रयों के लिए बाजार मूल्य का पता लगाते समय, संविदाकार को सीवीएम की विक्री के लिए पूर्णतया पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया इस उद्देश्य के साथ सुनिश्चित करनी है कि बिना किसी प्रतिबंधात्मक वाणिज्यिक पद्धतियों के, इस संविदा के सभी पक्षकारों के लाभ के लिए सर्वोत्तम संभव मूल्य प्राप्त किया जाए। संविदाकार द्वारा एक विज्ञापन/निविदा आमंत्रण नोटिस (एनआईटी)/ई-निविदा को कम से कम एक स्थानीय भाषा के दैनिक समाचार पत्र में और एक अंग्रेजी भाषा के राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र में और अन्य उपयुक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विक्री के लिए उपलब्ध सीवीएम की गुणवत्ता और मात्रा का उल्लेख हो, व्यापक रूप से अधिसूचित कराया जाए। क्रेता द्वारा निष्पादित किए जाने वाले विक्री करार की मुख्य विशेषताओं के साथ-साथ मूल्यांकन मानदंड के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विस्तृत जानकारी भी दी जाएगी और इस प्रक्रिया में सभी संबंधित क्रेताओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कम से कम 15 दिन का समय देना होगा। क्रेताओं के साथ किए जाने वाले अंतिम करार के संबंध में जानकारी संविदाकार की/ऑपरेटर की वेबसाइट पर दी जाएगी और सीवीएम/सरकार को भी सूचित किया जाएगा।

1.2 नए घरेलू प्राकृतिक गैस मूल्य निर्धारण दिशा-निर्देश, 2014 के तहत पेट्रोलियम आयोजना विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) द्वारा अधिमूचित मूल्य से बाजार का खोजा गया मूल्य कम होने की स्थिति में, रायल्टी और उत्पादन स्तर भुगतान (पीएलपी), पीएलपी के आधार पर किया जाएगा।

1.3 इन दिशा निर्देशों की अधिसूचना पर, नए घरेलू गैस मूल्य निर्धारण दिशा-निर्देश, 2014 और इससे पहले समय-समय पर घोषित गैस उपयोग नीति सीवीएम गैस पर लागू नहीं होगी।

1.4 'सरकार का हिस्सा' निर्धारित करने के लिए न्यूनतम मूल्य के साथ-साथ विपणन और मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता के संबंध में नए प्रावधान उन ब्लाकों पर भी लागू होंगे, जहां मूल्य निर्धारण सूत्र/आधार सरकार द्वारा पहले ही अनुमोदित कर दिया गया है। इस नीति के अनुसरण में इससे पहले जारी किए गए किसी भी आदेश को वापस लिया गया समझा जाएगा।

1.5 पैरा 1.1 में यथा निर्धारित प्रक्रिया अपनाने के बाद संविदाकार द्वारा किसी क्रेता का पता नहीं लगा पाने की दशा में, संविदाकार के किसी संबद्ध संविदाकार को सीवीएम की बिक्री करने की अनुमति दी गई है। संबद्ध संविदाकार को बिक्री किए जाने के कारणों और संबद्ध संविदाकार के साथ किए गए अंतिम करार से संबंधित सूचना को संविदाकार की/ऑपरेटर की वेबसाइट पर दर्शाया जाएगा और डीजीएच/सरकार को भी सूचित किया जाएगा।

2. संविदात्मक मुद्दे

महानिदेशक, हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजी, डीजीएच) नोटिस अवधियों, वार्षिक कार्य कार्यक्रम और बजटों में होने वाले विलंब को माफ करने के लिए और राज्य और केन्द्र सरकार से मिलने वाली स्वीकृतियों के संबंध में क्षम्य विलंबों को अनुमोदित करने के लिए शक्ति प्रदत्त है। डीजी, डीजीएच ऐसे मामलों का निपटान नीचे दी गई समय सीमाओं के भीतर करेगा:—

2.1 अथूरे न्यूनतम कार्य कार्यक्रम (एमडब्ल्यूपी) की लागत का भुगतान करने के बाद परवर्ती चरण में प्रवेश

अन्वेषण अवधि के पूर्ववर्ती चरण के अथूरे कार्यक्रम की लागत का भुगतान सरकार को करने के बाद अन्वेषण के दूसरे चरण के एमडब्ल्यूपी को करने के लिए संविदाकार को अनुमति दी गई है।

2.2 अगले चरण में प्रवेश करने के लिए या चरण I से चरण III में चरण के विस्तार के लिए नोटिस प्रस्तुत करने में विलंब माफ करना।

डीजीएच अगले चरण में प्रवेश करने के लिए संविदाकार द्वारा दर्ज किए जाने वाले कारणों के संबंध में नोटिस देने के लिए 90 दिन तक की अवधि माफ करने के लिए शक्ति प्रदत्त है। तथापि, ऐसी माफी को चरण के विस्तार के रूप में नहीं समझा जाएगा।

2.3 वार्षिक कार्य कार्यक्रम और बजट को प्रस्तुत करने में विलंब माफ करना

डीजीएच वार्षिक कार्य कार्यक्रम और बजट की प्रस्तुति के लिए 90 दिन की अवधि तक का विलंब, जिसके लिए संविदाकार द्वारा कारण दर्ज कराए जाएंगे, माफ करने के लिए शक्ति प्रदत्त है। तथापि ऐसे माफी को चरण के विस्तार के रूप में नहीं समझा जाएगा।

2.4 भूमि अधिग्रहण/अपरिहार्य मुद्दों अथवा प्रचालक के नियंत्रण से परे अन्य ऐसे किसी मामले के चलते विकास चरण में माफी योग्य विलंब।

स्पष्ट विलंबों की पुष्टि होने के बाद भूमि अधिग्रहण/अपरिहार्य स्थिति अथवा प्रचालक के नियंत्रण से परे ऐसे किसी अन्य मामले के कारण विकास चरण में, माफी योग्य विलंबों को अनुमोदित करने के संबंध में डीजीएच को, अनुवर्ती चरणों को अलग रखते हुए, शक्ति प्रदत्त बनाया गया है।

2.5 न्यूनतम कार्य कार्यक्रम में कटौती

यदि सरकार द्वारा किसी कारण के चलते संविदागत क्षेत्र को कम किया जाता है, डीजीएच को संविदागत क्षेत्र के अनुपातिक रूप में न्यूनतम कार्य कार्यक्रम (एमडब्ल्यूपी) को कम करने के लिए शक्ति प्रदत्त बनाया गया है। यदि संविदाकार संविदागत क्षेत्र में किसी प्रकार की कमी को स्वीकार नहीं करने का निर्णय लेता है, तो संविदाकार के लिए अथूरे कार्य कार्यक्रम (एमडब्ल्यूपी) की लागत का भुगतान किए बिना संविदा छोड़ने का विकल्प खुला होगा।

2.6 संविदा की प्रभावी तारीख

यदि किसी ब्लॉक में राज्य सरकारों द्वारा पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस (पीईएल) प्रदान किए जाने में दो (2) वर्षों से अधिक विलंब होता है और यदि संविदाकार सीबीएम ब्लॉक छोड़ने के विकल्प का चयन करता है, तो उसे अधूरे कार्य कार्यक्रम (सीओयूडब्ल्यूपी) की लागत का भुगतान किए बिना संविदा छोड़ने की इजाजत होगी।

2.7 राज्य सरकार और केन्द्र सरकार द्वारा मंजूरीयों के संबंध में अनुमति प्रदान न करना/विलंब से प्रदान करना

मंजूरीयां प्रदान करने में अत्यधिक विलंब अर्थात् किसी ब्लॉक में (2) दो वर्षों से अधिक का विलंब होने की स्थिति में, संविदाकार यदि सीबीएम ब्लॉक छोड़ने के विकल्प का चयन करता है, तो उसे पूरा नहीं किए गए कार्य कार्यक्रम (सीओयूडब्ल्यूपी) की लागत का भुगतान किए बिना संविदा छोड़ने की इजाजत होगी। डीजीएच को ऐसे मामलों की समीक्षा और जांच करने और संविदाकार द्वारा सीबीएम संविदा को छोड़ने के विकल्प को अनुमोदित करने के लिए शक्तिप्रदत्त बनाया गया है।

2.8 अधूरे कार्य कार्यक्रम की लागत का परिकलन

अधूरे कार्य कार्यक्रम की लागत का परिकलन करने के लिए, 0.25 मिलियन अमरीकी डालर प्रति महत्वपूर्ण कूप छिद्र तथा 0.6 मिलियन अमरीकी डालर प्रति परीक्षण कूप तथा प्रायोगिक कूप की एक निर्धारित राशि अधूरे कार्य कार्यक्रम की लागत मानी जाएगी और इसका कूप गहराई से कोई सरोकार नहीं होगा तथा सभी सीबीएम ब्लॉकों के लिए यह समान रूप में लागू होगी। महत्वपूर्ण कूप छिद्रों के वेधन के बाद सीबीएम ब्लॉक में यदि संभाव्यता में कमी पाई जाती है, तो ब्लॉक में परीक्षण/प्रायोगिक कूपों के वेधन की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे मामलों में, डीजीएच को तकनीकी आवश्यकता के आधार पर परीक्षण/प्रायोगिक कूपों की लागत को छोड़ने का प्राधिकार प्राप्त है। एमडब्ल्यूपी के भाग के रूप में संविदा के अनुच्छेद 5 में यथा निर्दिष्ट 'अन्य कर्तव्य' तथा परीक्षण/अध्ययनों को चरण-I और चरण-II के अधूरे कार्य कार्यक्रम की लागत का परिकलन करने में विचार नहीं किया जाएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण कूप छिद्र तथा परीक्षण कूप तथा प्रायोगिक कूप के लिए सीओयूडब्ल्यूपी के परिकलन करने में 'अन्य कर्तव्य' के मूल्य प्रभावित होते हैं।

2.9 सीबीएम संविदा के अनुसार प्रस्तुतिकरण के लिए सूचना अवधि की छूट

डीजीएच को सीबीएम संविदाओं में विभिन्न सूचना अवधियों के प्रस्तुतिकरण में विलंबों की समीक्षा और जांच करने के लिए शक्तिप्रदत्त बनाया गया है।

2.10 सीबीएम संविदाओं के क्रियान्वयन में प्रचालनीय मुद्दों के समाधान के लिए सचिवों के अधिकार प्राप्त समिति (ईसीएस) की भूमिका का विस्तार

सीबीएम से संबंधित मामले, जब कभी ईसीएस को भेजे जाते हैं, उन्हें अनुमोदित करने के लिए ईसीएस की भूमिका में सचिव (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस), वित्त सचिव, सचिव (कोयला) और सचिव (विधि) शामिल हैं।

3.0 यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगी।

अमर नाथ, मंत्र्युक्त सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th April, 2017

Policy Framework for Early Monetization of Coal Bed Methane (CBM)

No. O-19018/7/2016/ONG-I.—To develop alternate sources of natural gas including Coal Bed Methane (CBM) and promoting gas economy, Government has decided to provide marketing and pricing freedom for Coal Bed Methane (CBM), and streamline the operational issues. The Government of India hereby notifies the Policy Framework for Early Monetization of CBM Gas as hereunder:

I. Marketing and Pricing Freedom

I.1 It has been decided to provide marketing and pricing freedom to the Contractors of CBM blocks to sell the CBM at Arm's Length Price in the domestic market. While discovering the market price for Arms Length Sales, the Contractor has to ensure a fully transparent and competitive process for sale of CBM with the objective that the best possible price is

realized, to the benefit of all parties to this Contract, without any restrictive commercial practices. An advertisement / Notice Inviting Tender (NIT) / e-Tender should be notified widely by the Contractor, in at least one local language daily newspaper and one English language national daily newspaper and other suitable electronic media, mentioning inter-alia the quality and quantity of CBM available for sale. Detailed information on the evaluation criteria to be used along with broad salient features of sale agreement to be executed by the buyer shall also be made known and at least 15 days time is to be allowed to ensure maximum participation of all likely buyers in this process. The information regarding the final agreement reached with the buyer shall be hosted on the Contractor's / Operator's website and also communicated to DGH / Government.

1.2 In the event of market discovered price being less than the price notified by the Petroleum Planning Analysis Cell (PPAC) under the New Domestic Natural Gas Pricing Guidelines, 2014, the royalty and Production Level Payment (PLP) shall be paid on the basis of the latter.

1.3 On notification of these guidelines, the New Domestic Gas Pricing Guidelines, 2014 and the Gas Utilization Policy announced earlier from time to time shall not be applicable to CBM gas.

1.4 These provisions regarding marketing and pricing freedom along with the minimum price for determining the 'Government take' shall also be applicable to the blocks where pricing formula/basis has been approved earlier by the Government. Any order issued earlier not in consonance with this policy will be treated as withdrawn.

1.5 Sale of CBM to any Affiliate of the Contractor is permitted, in the event the Contractor cannot identify any buyer following the procedure as stipulated in para 1.1. The information regarding the reasons for sales to Affiliate and the final agreement reached with the Affiliate shall be hosted on the Contractor's / Operator's website and also communicated to DGH/ Government.

2. Contractual Issues

Director General, Directorate General of Hydrocarbons (DG, DGH) is empowered for condoning the delays in notice periods, annual work program and budgets and to approve the excusable delays regarding clearances from State and Central Government. The DG, DGH will dispose such cases within the time-limits below:

2.1 Entry into subsequent Phase, after paying cost of Unfinished Minimum Work Programme (MWP)

Contractor is allowed to carry out MWP of second phase of exploration after paying the cost of unfinished work program of previous phase of exploration period to the Government.

2.2 Condoning delays in submission of notice for entering into next phase or for the Extension of Phase in Phase-I to Phase-III

DGH is empowered to condone delays up to a period of 90 days for giving notice for entering into the next phase, for reasons to be recorded by the Contractor. However, such condonation shall not be construed as Extensions of Phase.

2.3 Condoning delays in submission of Annual Work Program and Budget

DGH is empowered to condone delays up to a period of 90 days for submission of Annual Work Program & Budget from which reasons are to be recorded by the Contractor. However, such condonation shall not be construed as extension of a phase.

2.4 Excusable delay in development phase due to land acquisition / force majeure issues or any other such matter beyond the control of Operator

DGH is empowered to approve the excusable delays, without set off from subsequent Phases, in development phase due to Land Acquisition / Force Majeure condition or any other such matter beyond the control of Operator after confirming demonstrable delays.

2.5 Reduction in minimum work programme

DGH is empowered to reduce Minimum Work Programme (MWP) in proportion to the contract area if contract area is reduced by Government for any reason. If the Contractor decides not to accept any reduction in contract area, the Contractor would be permitted to exercise exit option from the contract without payment of Cost of Unfinished Work Programme (COUWP).

2.6 Effective date of the contract

If delay in grant of Petroleum Exploration License (PEL) exceeds two (2) years from the State Governments in any Block, the Contractor if exercises exit option from the CBM Block, will be permitted to exit without paying cost of unfinished work program.

2.7 Non-grant or delayed permission of clearances by State Government and Central Government.

In cases of inordinate delays in granting clearances i.e. beyond two (2) years in any block, the Contractor if exercises exit option, will be permitted to exit from the contract without paying Cost of Unfinished Work Programme. DGH is empowered to review and examine such cases and approve exit option exercised by the Contractor from the CBM Contract.

2.8 Calculation of Cost of Unfinished Work Program

For Calculation of Cost of Unfinished Work Program, a fixed amount of USD 0.25 Million per corehole and USD 0.6 Million per test well as well as pilot well shall be considered as Cost of Unfinished Work Program irrespective of depth and will be uniformly applicable for all CBM Blocks. In case of low prospectivity observed in CBM block after drilling of core holes, then it is not required to drill test/pilot wells in the block. In such cases, DGH is authorized to waive off the cost of test/pilot wells depending upon technical requirement. 'Other works' and tests/studies as indicated in Article 5 of the Contract ' as part of MWP' shall not be considered for calculation of cost of unfinished work program of Phase-I and Phase-II as the value of 'Other works' has been factored in the computation of COUWP for Core hole and Test Well and Pilot well.

2.9 Relaxation of Notice Period for submission as per CBM Contract

DGH is empowered to review and examine delays in submission of various notice periods in CBM Contracts.

2.10 Extended Role for Empowered Committee of Secretaries (ECS) for resolution of operational issues in implementation of CBM Contracts.

The role of ECS comprising of Secretary (Petroleum & Natural Gas), Finance Secretary, Secretary (Coal) and Secretary (Law) is extended for approving the matters relating to CBM blocks as and when referred to ECS.

3.0 This Notification shall be effective immediately.

AMAR NATH, Jt. Secy.